भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

.....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1045
(03 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत सीमांत किसानों को शामिल किया जाना

1045. श्रीमती टी0 रत्नाबाई :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 5 एकड़ से कम भूमि वाले सीमांत किसान अपने स्वयं के खेतों में कार्य करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर आंध्र प्रदेश के संदर्भ में ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रदीप जैन ' आदित्य')

(क) से (ग) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के प्रावधान इस अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत राज्यों द्वारा बनाई गई योजनाओं के जरिए लागू किए जाते हैं। समय-समय पर यथासंशोधित एमजीएनआरईजीए की अनुसूची-I में उन कार्यों की श्रेणी का उल्लेख होता है जिन पर एमजीएनआरईजीए अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं में ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 में यथा परिभाषित छोटे या सीमांत किसानों के परिवारों की भूमि या वास भूमि पर निम्नलिखित कार्यकलापों की अनुमति है;

1. सिंचाई सुविधा, खेतों में खोदे गए तालाब, बागवानी, पौधरोपण, मेड़बंधी तथा भूमि विकास का प्रावधान;
2. कृषि संबंधी कार्य, अर्थात् एनएडीईपी कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, तरल जैव खाद;
3. पशुधन संबंधी कार्य अर्थात् पोल्ट्री शेल्टर, गोट शेल्टर, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और मवेशियों के लिए फॉडर ट्रफ और पशु भोजन सप्लीमेंट के रूप में अजोला;
4. तटीय क्षेत्रों में कार्य अर्थात् फिश ड्राईंग यार्ड, बेल्ट वेजीटेशन;
5. ग्रामीण पेयजल संबंधी कार्य अर्थात् सोख्ता गड्ढे, रिचार्ज पिट;
6. ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य अर्थात् वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय, विद्यालय शौचालय इकाई, आंगनवाड़ी शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन;

उपर्युक्त कार्य आगे दर्शाई गई शर्तों पर ही किए जाएगें :-

(i) परिवारों के पास जॉब कार्ड होंगे; और
(ii) लाभार्थी अपनी भूमि या वास भूमि पर चलाई जाने वाली परियोजना में कार्य करेंगे।

****